

This question paper contains 4 printed pages]

8003

LL.B. (Third Year) EXAMINATION, 2015
LAW OF CIVIL PROCEDURE AND
LIMITATIONS

Third Paper

Time allowed : Three Hours

Maximum Marks : 100

Part A (खण्ड 'अ')

[5×8=40]

Candidates are required to answer all questions

in Part-A (150 words each).

All questions carry equal marks.

खण्ड-अ में से सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 150 शब्दों से अधिक न हो।

सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

Part B (खण्ड 'ब')

[4×15=60]

Answer any four questions. (300 words each)

All questions carry equal marks.

किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न

का उत्तर 300 शब्दों से अधिक न हो।

सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

P.T.O.

Part A (खण्ड 'अ')

1. Write short notes on the following :

- (a) What is the difference between Res judicata and Res subjudice ?
- (b) Explain the principle of Rateable distribution.
- (c) Explain powers and duties of a Receiver.
- (d) What are the grounds of second appeal ?
- (e) What are the fundamental principles of law of limitation ?

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिये :

- (क) प्राङ्गन्याय और विचाराधीन मामले के सिद्धान्त में अन्तर स्पष्ट कीजिये।
- (ख) 'अनुपातिक वितरण के सिद्धान्त' को समझाइये।
- (ग) 'रिसीवर' की शक्तियों व कर्तव्यों को समझाइये।
- (घ) द्वितीय अपील के आधारों को समझाइये।
- (ङ) परिसीमा विधि के मूलभूत सिद्धान्त कौनसे हैं ?

Part B (खण्ड 'ब')

2. What is the suit of civil nature and what is the jurisdiction of civil courts ?

दीवानी प्रकृति का मामला क्या है और दीवानी न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या है ?

3. What is Decree ? Whether it can be transferred ? If so, what are the powers of the executant court in the execution of such decree ?

डिक्री क्या है ? क्या इसका अन्तरण किया जा सकता है ? यदि हाँ तो उस डिक्री के निष्पादन में उस न्यायालय का क्या अधिकार है जिसे डिक्री अन्तरित की गई है ?

4. Discuss the various modes of effecting service of summons on a defendant.

प्रतिवादी पर सम्मन की तामील करने के विभिन्न तरीकों की विवेचना कीजिये।

5. Define temporary injunction ? Under what circumstances can its be granted ?

अस्थायी निषेधाज्ञा को परिभाषित कीजिये। न्यायालय किन परिस्थितियों में अस्थायी निषेधाज्ञा पारित कर सकता है ?

6. Who may appeal ? Discuss the procedure to decide the appeal. In which matters there is no right to appeal ?

अपील कौन कर सकता है ? अपील तय करने की प्रक्रिया का उल्लेख कीजिये। किन मामलों में अपील नहीं की जा सकती है ?

7. Discuss the provisions relating to filing a suit of public nuisance under C.P.C.

व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत लोक अपदूषण का वाद दायर करने से सम्बन्धित प्रावधानों का उल्लेख कीजिए।

8. "Law of limitation bars the remedy but does not extinguish the right". Explain.

“मर्यादा विधि उपचार को रोकती है परन्तु अधिकार को समाप्त नहीं करती है।” समझाइये।